THE NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
"N.S.I.C. BHAWAN"
OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, NEW DELHI-110020

NSIC/HO/RTI/Appeal/01/2022-23 Dt. 23.05.2022

श्री राजीव रंजन गुप्ता ,
पुत्र श्री महेंद्र प्रसाद,
ब्लॉक नंबर -04,
फ्लैट नंबर 117, एल आई जी,
हनुमान नगर, कंकरबाघ, पटना 800020 (बिहार)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

कृपया निम्न **संलग्न दस्तावेज़ों** का संदर्भ ले:

i) श्री राजीव रंजन गुप्ता द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2022 के संदर्भ में **एमएसएमई मंत्रालय के जवाबी पत्र दिनांक 25.04.2022 की प्रति**

ii) केंद्रीय सतर्कता आयोग को श्री राजीव रंजन गुप्ता द्वारा प्रस्तुत **आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 15.03.2022 के सहित शिकायत पत्र संख्या 189213/2021/Vigilance-6 दिनांक 03.12.2021 की प्रति** जो एनएसआईसी को दिनांक 27.04.2022 में एमएसएमई मंत्रालय से प्राप्त हुई

iii) श्री राजीव रंजन गुप्ता की आरटीआई दिनांक 17.09.2021 के संदर्भ में **एनएसआईसी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी जवाबी पत्र संख्या NSIC/HO/RTI/Appeal/08/2021-22 दिनांक 11.10.2021 की प्रति**

श्रीमान
आपके नवीनतम आरटीआई आवेदन दिनांक 15.03.2022 में बिंदुवार जानकारी आपको अपीलीय प्राधिकारी, एनएसआईसी के पत्र संख्या NSIC/HO/RTI/Appeal/08/2021-22 दिनांक 11.10.2021 द्वारा पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। फिर भी, बिंदुवार जानकरी एक बार दुबारा प्रस्तुत है :

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधिनियम के तहत आवेदन दिनांक 15.03.2021 के द्वारा अग्रिम पृष्ठ पर प्रस्तुत जानकारी चाही है :

प्रश्न-1 : केंद्रीय सतर्कता आयोग को दिनांक 03.12.2021 में प्रेषित शिकायत व आपत्ति आवेदन मे उठाए गए प्रत्येक बिंदुओ पर की गई कारवाई का अलग अलग तिथिवार विवरण व प्रमाण दें।

उत्तर-1 : शिकायत पत्र दिनांक 03.12.2021 में निम्न्लिखित शिकायत व आपत्ति पाये गये जिनका उत्तर भी समीक्षा के बाद नीचे दिया गया है :

शिकायत क.: लोक सेवक (Shri A.K. Mishra) ने अपने किसी लाभ हेतु भ्रष्टाचारी लोक सेवक (Shri S.K. Saha) एवं अन्य आरोपियों की मिली-भगत से उनको बचाने एवं लाभ पहुंचाने के लिये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे शिकायत मामले में जांच अधिकारी को नियुक्त कर इसकी जांच नहीं कराया है और ना ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधान के तहत कोई भी कानूनी कारवाई ही किया है।

उत्तर क.: शिकायत प्राप्ति के बाद सतर्कता विभाग, एनएसआईसी ने संबंधित एनएसआईसी शाखा कार्यालय, जमशेदपुर से मामले का विवरण प्राप्त कर प्रारंभिक जांच की और जब शिकायत में लगाये गए आरोप में कोई तथ्य नही पाया गया जिसके फल-स्वरूप मामले को बंद कर दिया गया।

शिकायत ख.: प्रमाण-स्वरूप अपीलीय प्राधिकारी (श्री नवीन चोपड़ा), मुख्य महाप्रबंधक-एस.जी. (वर्क्स/एसतेत), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के पत्रांक - NSIC/HO/RTI/Appeal/08/2021-22, दिनांक 11.10.2021, जिसमे यह कहा गया है कि शिकायत प्राप्ति के बाद सतर्कता विभाग, एनएसआईसी ने शिकायत की प्रारम्भिक जांच की और सम्बंधित एनएसआईसी शाखा कार्यालय, जमशेद्पुर द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि मामला काफी पुराना है और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार एनएसआईसी की किराया खरीद योजना के तहत मशीनो की खरीद के लिये आवेदन मेसर्स गुप्ता एंड सन्स द्वारा 16.06.1989 को किया था। किंतु उन्होने 16.06.1989 का आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराया है।

उत्तर ख. : अपीलीय प्राधिकारी (श्री नवीन चोपड़ा), ने अपने उत्तर के साथ किसी भी दस्तावेज़/ आवेदन पत्र की प्रति उप्लब्ध नही करायी है क्योंकि अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता मैसर्स गुप्ता एंड सन्स के साथ किसी भी तरह से जुड़ा नहीं है। वह फर्म का भागीदार/ प्रोप्राइटर नहीं है और यह एक स्थापित कानून है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) के तहत वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्यों से संबंधित जानकारी को प्रकटीकरण से छूट है।

शिकायत ग.: Transfer of Ownership Certificate दिनांक 08.12.2011 को मेसर्स गुप्ता एंड सन्स को लोक सेवक (Shri S.K. Saha) द्वारा फर्ज़ी व गलत तरीके से जारी किया गया, जिस पर Shri Mahendra pd. Gupta को prop. दर्शाया गया है, जो कानूनन अवैध है। फ़िर भी लोक सेवक (Shri A.K. Mishra), मुख्य सतर्कता अधिकारी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा मामले को जानबूझकर संचिकास्त करने की कुचेष्टा व कुप्रयास किया गया है। इससे यह पुष्टि होती है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून का उल्लंघन उनके द्वारा जानबूझकर किया गया है।

उत्तर ग. : इस शिकायत के उत्तर के लिये ऊपर दिये गए 'उत्तर क' का संदर्भ लें।

प्रश्न-2 : संबन्धित संचिका की सभी टिप्पणी के भाग की सत्यापित छायाप्रति दें।

प्रश्न-3 : प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सत्यापित छायाप्रति एव प्राप्त प्रतिवेदनोपरांत की गई कारवाई का विवरण व स्थिति बताये।

उत्तर-2 एवं 3 : प्रश्न 2 और 3 के संबंध में सूचना प्रदान नही की गई क्युंकि ऐसी जानकारी जो कि व्यावसायिक विश्वास और त्रितिय पक्श की व्यक्तिगत जानकारी से सम्बंधित हो, को आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) और 8 (1) (जे) के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है।

प्रश्न-4 : जांच के उपरांत की गयी कानूनी कारवाई दर्ज करायी गयी प्राथमिकी (FIR) की सत्यापित छायाप्रति दें।

उत्तर-4 : क्योंकि अपीलार्थी द्वारा फ़ाइल की गयी शिकायत मे कोई तथ्य नहीं पाया गया इसलिये प्रारम्भिक जांच के उपरांत कानूनी कारवाई के लिये कोई प्राथमिकी (**FIR**) नही करायी गई अतः ऐसी किसी छायाप्रति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ आपकी शिकायत निस्तारित की जाती है।

(नवीन चोपड़ा)
अपीलीय प्राधिकारी,/मुख्य महा प्रबंधक-एसजी (वर्क्स/एस्टेट) 23/5/22

प्रति : श्री सुरेंदर कुमार, अनुसचिव एवं सीपीआईओ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011